"R.K. GREEN CITY"

LAY OUT PLAN OF KHASRA NO. 405/211 OF VILLAGE BHAKRASNI TEHSIL LUNI DIST. JODHPUR

LAND USES ANALYSIS

PLOTS	AREA in Sq.yd.	AREA in Sq.mtr.	AREA OF %
TOTAL PLOT AREA	7121.68	5954.62	46.97 %
PARK & OPEN AREA	768.65	642.69	05.07 %
M.T./S.W.D. AREA	86.74	72.53	00.57 %
ROAD AREA	7186.65	6008.94	47.39 %
TOTAL SCHEME AREA	15163.72	12678.78	100.00 %

Area in Bigha. = 07 Bigha , 16 Bishwa , 13 Bishwansi

SCALE:-1"=50'

KEY PLAN

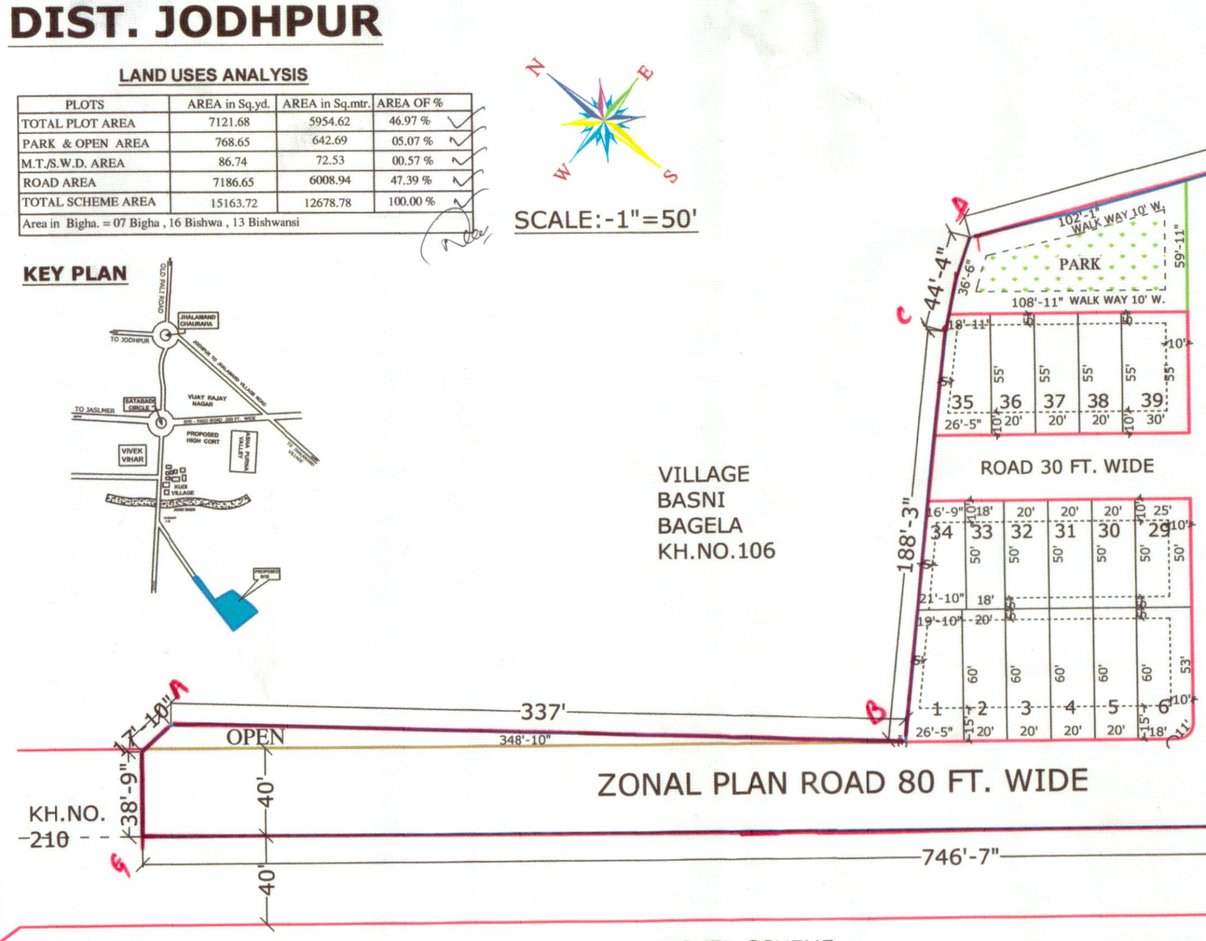

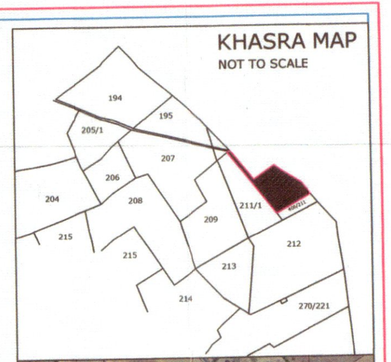

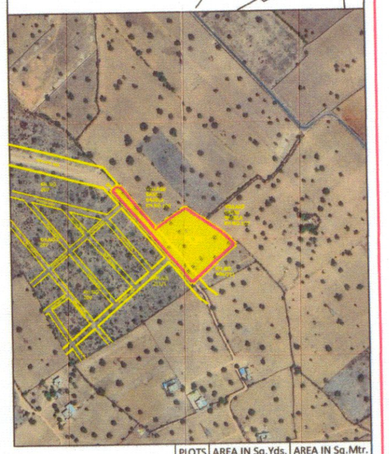

PLOTS	AREA IN Sq.Yds.	AREA IN Sq.Mtr.
1	154.11	128.85
2	133.33	111.48
3	133.33	111.48
4	133.33	111.48
5	133.33	111.48
6	166.67	139.35
7	272.22	227.61
8	155.56	130.06
9	155.56	130.06
10	155.56	130.06
11	155.56	130.06
12	155.56	130.06
13	155.56	130.06
14	155.56	130.06
15	155.56	130.06
16	155.56	130.06
17	155.56	130.06
18	100.00	83.61
19	100.00	83.61
20	100.00	83.61
21	100.00	83.61
22	100.00	83.61
23	100.00	83.61
24	100.00	83.61
25	100.00	83.61
26	100.00	83.61
27	100.00	83.61
28	175.00	146.32
29	138.89	116.13
30	111.11	92.90
31	111.11	92.90
32	111.11	92.90
33	100.00	83.61
34	107.26	89.68
35	140.43	117.42
36	122.22	102.19
37	122.22	102.19
38	122.22	102.19
39	183.33	153.29
40	175.00	146.32
41	100.00	83.61
42	100.00	83.61
43	100.00	83.61
44	100.00	83.61
45	100.00	83.61
46	100.00	83.61
47	100.00	83.61
48	100.00	83.61
49	100.00	83.61
50	100.00	83.61
51	102.97	86.09
52	100.01	83.62
53	97.05	81.14
54	94.09	78.67
55	91.10	76.17
56	82.91	69.33
57	70.76	59.16
58	83.34	69.68
TOTAL	7124.02	5956.57

एजेण्डा संख्या 02 (राजकाज सं. 09300) (बैठक दिनांक 08.04.2025) :– जोन–02

1.	आयोजना शाखा में प्राप्ति क्रमांक/दिनांक	83/07.11.2024
2.	आवेदक का नाम	श्री भेपाराम, श्री बीरबल, श्री ओमप्रकाश उर्फ श्री ओमाराम पुत्रान् श्री हीराराम एवं श्रीमती रूकमा देवी पत्नी श्री हीराराम
3.	राजस्व ग्राम	भाकरासनी
4.	खसरा संख्या	405/211
5.	आवेदित भूमि का क्षेत्रफल (वर्गमीटर में)	12679.00 वर्गमीटर
6.	प्रार्थी द्वारा चाहा गया उपयोग	आवासीय योजना
7.	निर्णय:– **समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। विचार–विमर्श उपरांत निम्नलिखित शर्तो के साथ ले–आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया:–** 1. प्राधिकरण द्वारा पूर्व में किये गये कमिटमेंट में राजस्व रास्ते को 36 मीटर निर्धारित किया गया है जो कि राजस्व मानचित्र एवं मौका अनुसार आगे निरंतर नही है एवं उक्त सडक का मार्गाधिकार जोनल डवलपमेंट प्लान में 24 मीटर प्रस्तावित किया गया है। अतः आवेदक द्वारा प्रस्तुत संशोधित ले–आउट प्लान में जोनल डवलपमेंट प्लान, प्राधिकरण द्वारा पूर्व में किये गये कमिटमेंट्स एवं मौका स्थिति अनुसार प्रस्तावित 24 मीटर (सड़क के मध्य बिन्दु से 12 मीटर) सड़क के एलाईनमेंट को समिति द्वारा अनुमोदित किया गया। उक्तानुसार सडक मार्गाधिकार का एलाईनमेंट रखते हुए ले–आउट प्लान जारी किया जावें। सड़क मार्गाधिकार हेतु आवश्यक भूमि प्रार्थी की भूमि में से जोविप्रा के पक्ष में निःशुल्क समर्पित करवायी जावें। 2. टाउनशिप पॉलिसी–2010 के प्रावधानों को समावेश कर नियमानुसार संशोधन करते हुए ले–आउट प्लान जारी किये जाने का निर्णय लिया गया। 3. आवेदित भूमि के मानचित्र/ले–आउट प्लान पर नियमानुसार सेटबैक का अंकन करते हुए जारी किए जाने की सुनिश्चितता की जावें। अन्य उपयोगों की ओर प्रस्तावित पार्क व खुला क्षेत्र की भूमि में पार्क डिजाईन के तहत् 03 मीटर आन्तरिक पाथ–वे (Walk-way) दर्शाया जावें। 4. राजस्थान टाउनशिप पॉलिसी–2010 व उक्त के क्रम में समय समय पर जारी दिशा–निर्देशो अनुसार आवश्यक शुल्क एवम् नियमों की पालना की सुनिश्चितता जोन/आवेदक द्वारा की जावें। 5. मुख्यमंत्री जन आवास योजना–2015 के प्रावधानानुसार 2 है0 से कम क्षेत्रफल की योजना में नियमानुसार विक्रय योग्य क्षेत्रफल के 10 प्रतिशत क्षेत्रफल के समतुल्य राशि जोन स्तर पर ली जावें। 6. रेरा अधिनियम–2017 के तहत राजस्थान रियल एस्टेट रेग्युलेटरी ऑथोरिटी (रेरा) द्वारा दिनांक 14.03.2023 एवं इस संबंध में समय–समय पर जारी आदेशों अनुसार निजी खातेदारी, निजी विकासकर्ता की उक्त प्लॉटेड योजना (Plotted Development Project) में पट्टे जारी करने से पहले उस योजना का रेरा में रजिस्ट्रेशन करवाया जाना अनिवार्य है। उक्त की सुनिश्चितता एवं प्रस्तावित योजना में जल एवं विद्युत आपूर्ति की सुनिश्चितता प्रार्थी स्वयं के स्तर पर किये जाने का शपथ–पत्र प्राप्त किये जाने की सुनिश्चितता जोन उपायुक्त द्वारा की जावे। 7. अनुमोदित मानचित्र में दर्शाये गए सुविधा क्षेत्र, सडक, पार्क इत्यादि के डिमार्केशन की कार्यवाही होने, सड़क मार्गाधिकार में निर्माण नही होने, पट्टा विलेख जारी किये जाने से पूर्व मौके पर निर्माण होने की स्थिति में राशि लिए जाने एवं सैटबेक क्षेत्र में किये गये निर्माण को एक वर्ष की अवधि अथवा भवन अनुमति जारी होने से पूर्व हटाया जाने इत्यादि की सुनिश्चितता जोन स्तर पर की जावें। 8. प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व प्रचलित भवन विनियम अनुसार जोधपुर विकास प्राधिकरण से भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे।	

JDA/Dir(P)/69 05/06/25

25/4/25
उप नगर नियोजक
जोधपुर विकास प्राधिकरण
जोधपुर

28/04/2025
निदेशक आयोजना
जोधपुर विकास प्राधिकरण
जोधपुर

5-6-2025
आयुक्त (जोन-2)
जोधपुर विकास प्राधिकरण
जोधपुर

ओमप्रकाश
भेपाराम
बीरबल

दिनांक 02.09.2024 को सुपर इम्पोज/~~सीमांकन~~ ~~सत्यापित~~ LAYOUT PLAN से प्रस्तुत LAYOUT PLAN का मिलान कर सीमाओं को लाल स्याही से बिन्दू A से G मार्क किया गया।

(प्रवीण आशिया)
निरीक्षक (भू.अ.)
जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

Kumawat Survey & Planning Services
66, Laxmi Vihar, Madhuban Housing Board, Jodhpur
Reg. No. C.T.P. RAJ/NAGAR MITRA 2021 (861) 670